UPRVUNL	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 291/मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2010-10 -मा0सं0 (04)/2006 दिनांक 06 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों के दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप निगमीय कार्मिकों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि हो गई है और निगम के आवासों के अनुरक्षण एवं अन्य मदों पर होने वाले भारी व्यय को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि निगम के सभी आवासों के मासिक किराये का पुनर्निधारण किया जाय। अतः पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या 777-पी/राविप-तीस-37पी/88 दिनांक 10.05.1989, संख्या-804-अ0प्र0(2ब)/राविप/91 दिनांक 30 अप्रैल 1991, संख्या-2490 जीए/राविप-12/91-34-जीए/90 दिनांक-17.05.1991, संख्या-1942 जीए/राविप-12/98-34 जीए/1990 दिनांक 11.11.1998, निगमादेश संख्या-107-मा0सं0 (03)/उनिलि/2006-2(5)-मा0सं0(03)/2005 दिनांक-13.01.2006, निगमादेश संख्या 965/ मा0सं0(04)/उनिलि/2008-10-मा0सं0(04)/2006 दिनांक 04.06.2008, एवं निगमादेश संख्या-1301/उनिलि/2009-10 मा0सं0(04)/2006 दिनांक 06.08.2009 को अतिक्रमित करते हुये निगमीय आवासों का किराया लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेट से रेन्ट का निर्धारण एतदद्वारा निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. सभी निगमीय आवासो के लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेट से रेन्ट सलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं :-

<u>लिविंग एरिया निम्न मापदण्ड से निकाला जायेगा:-</u>

(1) कमरों, रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय, स्टोर तथा बंद बरामदे के क्षेत्रफल का	100 प्रतिशत
(2) बिना बंद बरामदे, कारीडर्स तथा बरसाती के क्षेत्रफल का	25 प्रतिशत
(3) पोर्च जहाँ हो, के क्षेत्रफल का	$12\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(4) आँगन के पक्का होने की दशा में आँगन के क्षेत्रफल का	5 प्रतिशत

2. जो अध्यासी निगम में कार्यरत कार्मिकों की श्रेणी में नहीं आते है ऐसे व्यक्ति से निर्धारित फ्लैट रेट रेन्ट की दोगुनी दर से किराया लिया जायेगा।
3. अनधिकृत अध्यासन, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 45ए के अधीन बनाये गये सहायक नियम 18ए (5) में दिया गया है, की स्थिति में फ्लैट रेट रेन्ट की दस गुनी दर से प्रतिमाह अनधिकृत अध्यासन के लिए क्षतिपूर्ति देय होगी।
4. अर्हता श्रेणी से ऊपर का आवास किसी भी दशा में आवंटित नही होगा किन्तु पूर्व में आवंटित आवास यथावत् रहेगें तथा अध्यासित आवास हेतु लागू फ्लैट रेट रेन्ट का दो गुना किराया देय होगा।
5. सेवा निवृत्ति पश्चात आवासीय सुविधा का एक माह तक फ्लैट रेट रेन्ट पर तथा तदोपरान्त अधिकतम तीन माह की अवधि तक फ्लैट रेट रेन्ट के दोगुना दर पर आवासीय सुविधा का उपभोग किया जा सकता है। इसके पश्चात् अनधिकृत अध्यासन माना जायेगा और तद्नुसार नियम लागू होंगे।
6. (अ) निगम में कार्यरत कार्मिकों हेतु मध्य शिक्षा सत्र में स्थानान्तरण पर अध्यासित भवन में निवास की अनुमति निगम मुख्यालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रदान की जायेगी। शिक्षा सत्र के निर्धारण के लिये आवेदन के साथ सम्बन्धित विद्यालय का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा जिसमें शिक्षा सत्र कब समाप्त होगा यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। इस अनुमति अवधि में फ्लैट रेट रेन्ट के आधार पर भवन किराया लिया जायेगा तदोपरान्त अवैध अध्यासन माना जायेगा। नव तैनाती स्थल पर भवन आवंटन होने पर पुराने तैनाती स्थल पर अध्यासित आवास को एक सप्ताह के भीतर खाली करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की दशा में इस आवास का क्षतिपूर्ति किराया वसूला जायेगा।

   (ब) निगम कार्मिकों के स्थानान्तण पर प्राविधान निम्नवत् होंगे-

   1. स्थानान्तरण के पश्चात् तीन महीने तक फ्लैट रेट रेन्ट पर।
   2. उसके बाद अनधिकृत कब्जा माना जायेगा।
   3. अपरिहार्य कारणों से तीन माह पश्चात् पुराने तैनाती स्थल पर भवन अध्यासित रखे जाने हेतु अनुमोदन के लिये केवल प्रबन्ध निदेशक उ0नि0लि0 अधिकृत होंगे। इस अवधि में किराया फ्लैट रेट रेन्ट का तीन गुना देय होगा।

7. अध्यासी के अनुरोध पर किसी भी निगमीय आवास में संरचनात्मक प्रकृति का कोई भी परिवर्तन/परिवर्तन सम्बन्धी कार्य सम्पादन नहीं कराया जायेगा मत ही अध्यासी ऐसे कार्य के लिए अतिरिक्त किराया देने हेतु सहमत हो।

1. ऐसे अध्यासी जो पूर्व में अपने अनुरोध पर कराये गये कार्य/कार्यो के फलस्वरूप निगमीय आवास का अतिरिक्त किराया दे रहे हैं उनके लिये –

(अ) निगम में कार्यरत कार्मिकों हेतु इस अतिरिक्त किराये की दर उसी अनुपात में बढ़ी मानी जायेगी जिसमें फ्लैट रेट रेन्ट बढ़ा है। वह इस अतिरिक्त किराये का भुगतान नये निर्धारित किराये के साथ–साथ करते रहेंगे।

(ब) सेवा निवृत्ति के उपरान्त मकान किराये के सम्बन्ध में सेवा निवृत्त कार्मिकों हेतु लागू नियमों के अनुसार प्राविधान लागू होंगे।

(स) गैर निगमीय व्यक्तियों हेतु उन पर लागू नियमों के अनुसार प्रविधान लागू होंगे।

(द) यदि अध्यासी द्वारा अन्तराल में आवास रिक्त कर दिया जाता है तो उस आवास के नये आवंटी द्वारा भी आवास के नये फ्लैट रेट रेन्ट के साथ–साथ नव निर्धारित अतिरिक्त किराये का भी भुगतान किया जायेगा। इस अतिरिक्त किराये का निर्धारण प्रस्तर–1 के आधार पर किया जायेगा।

किन्हीं विशेष परिस्थितियों या कारणों, जिससे निगम संतुष्ट हो और उनका निगमादेशों में उल्लेख करना आवश्यक होगा, पर उपर्युक्त आदेशों में शिथिलीकरण केवल प्रबन्ध निदेशक द्वारा ही किया जा सकता है।

2. निगम की विभिन्न कालोनियों के प्रत्येक श्रेणी के आवासों का इन आदेशों के आधार पर लिविंग एरिया एवं फ्लैट रेट रेन्ट की दरों का विवरण सम्बंधित मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3. अवैध अध्यासन के सम्बन्ध में व्यक्तियों/कार्मिकों के सम्बन्ध में यह आदेश निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे, निगम के कार्योपरान्त स्थानांतरित, सेवा निवृत्त/पदच्युत कार्मिक, मृतक कार्मिक के आश्रित परिवार तथा गैर निगमीय व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

8. ताप विद्युत गृहों पर सम्बन्धित जानपद मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के अन्त में उपरोक्त नियमानुसार भवनवार व अध्यासीवार किराये की बकाया राशि की एक सूची निर्गत की जायेगी। इस बकाया राशि की वसूली हेतु निगमीय कार्यरत/सेवा निवृत्त कार्मिकों एवं निविदाकारों के सम्बन्ध में जिम्मेदारी परियोजना पर वित्त एवं लेखा इकाई की होगी। अन्य के सम्बन्ध में जिम्मेदारी परियोजना जानपद खण्डों की होगी।

यह आदेश दिनांक 01.03.2010 से प्रभावी माने जायेंगे।

संलग्नक :– यथोपरोक्त।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 291 (1)/मा0सं0(04) /उ0नि0लि0/2010 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
3. समस्त मुख्य महाप्रबधक/महाप्रबन्धक; ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी परियोजनायें, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, सोनभद्र/कासिमपुर (अलीगढ)/झाँसी/कानपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन इकाई, मा0सं0/वित्त एवं लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 सोनभद्र/कासिमपुर/(अलीगढ)/ झाँसी/ कानपुर।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, (मु0) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(signature) 06/10/10

(सतीश चन्द्र खरे)
अनुसचिव (मा0सं0–04)

संलग्नक– एक

कमांक	लिविंग एरिया (वर्गमीटर में)	फ्लैट रेन्ट (रूपये में) मासिक	विवरण
1.	30 तक	60	शौचालय दो से अधिक आवासों के लिये होने पर
2.	30 तक	90	शौचालय दो आवासों के लिये होने पर
3.	30 तक	150	शौचालय प्रत्येक आवास के लिये अलग होने पर
4.	30 तक	210 टाइप–1	300 वर्ग फीट तथा अधिक कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर
5.	30 तक	210	350 वर्ग फीट कुर्सी क्षेत्रफल का होने पर
6.	32 से 40	360	
7.	41 से 50	450 टाइप–2	
8.	34.5	360	425 वर्ग फुट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर
9.	44 से 55	510	
10	56 से 65	630 टाइप–3	
11.	59 से 75	690	
12.	76 से 91.5	870	
13.	106 तक	1110 टाइप–4	
14.	106 से अधिक	1260 टाइप–5	
15.	159.5	1560	
16.	159.5 से अधिक	1800	
17.	189.5 से 224.5	2100	
18.	243 से 350	3000	
19.	350.5 से 522	3600	

[signature]